उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील सं0 27/2021–22

बजरंगी ठाकुर.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

लव कुमार प्रसाद एवं अन्य.....उत्तरकारी।

आदेश

07.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–11/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–16.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा सियाखोर अंचल–सरैयाहाट के अंतिम प्रधान विष्णु ठाकुर थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–19.06.2018 को हो चुकी है। पूर्व प्रधान के पाँच पुत्र यथा राजेन्द्र ठाकुर, गेंदालाल ठाकुर, सुभाष ठाकुर, व्यास ठाकुर एवं जयन्त ठाकुर में कनिष्ठ पुत्र जयन्त ठाकुर वर्त्तमान में जीवित है। उत्तरकारी सं0–02 पूर्व प्रधान के कनिष्ठ पुत्र जयंत कुमार ठाकुर है। पूर्व प्रधान के मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्ता के पिता व्यास ठाकुर द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया था। अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा भी पूर्व प्रधान के जीवित पुत्र होने के कारण उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है किन्तु उनकी मृत्यु दिनांक–01.12.2019 को हो चुकी है। तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा उनके स्थान पर प्रतिस्थापनी (Sutrstition) आवेदन दाखिल किया गया।

उन्होंने आगे कहा है कि पूर्व प्रधान द्वारा दिनांक–12.10.2015 को शपथ पत्र के माध्यम से अपने पुत्र व्यास ठाकुर (अपीलकर्त्ता के पिता) को मौजा का प्रधान बनाने का इच्छा जाहिर की थी। इसी आधार पर अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। इस आधार पर

उनका दावा प्रधान पद पर बनता है किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अपीलकर्त्ता के बिना जानकारी तथा सुनवाई हेतु अवसर दिये बिना ही उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इस पर 16 आना रैयतों का आम सहमति (General accaptaibility) प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नही है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी सं0–2 जयंत कुमार ठाकुर द्वारा शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि उनके भतीजा (उत्तरकारी सं0–1) लव कुमार प्रसाद द्वारा उन्हें धोखे से राशन कार्ड बनाने हेतु हस्ताक्षर किया गया कागज पर शपथ पत्र बनवाया गया कि उत्तरकारी को प्रधानी पद पर नियुक्ति में उन्हें किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा अनापत्ति शपथ–पत्र लव कुमार प्रसाद के तरफ से कभी भी दाखिल नही किया गया है। उन्होने कहा है कि पूर्व प्रधान के पुत्र होने के नाते प्रधान पद पर उनका हक बनता है।

16 आना रैयत द्वारा भी शपथ–पत्र दाखिल कर कहा है कि उत्तरकारी ने 16 आना रैयतों को गुमराह कर अपना प्रधानी बहाल करवा लिया है। वह शराबी है, तथा रैयत के किसी भी घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करता है, वह सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी नहीं करता है। अतः उनके स्थान पर अपीलकर्त्ता अथवा उत्तरकारी सं–02 को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया जाय।

उत्तकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वह पूर्व प्रधान का जेष्ठ पुत्र का पुत्र है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया नियुक्ति आदेश सही है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी सं0–01 लव कुमार प्रसाद पूर्व प्रधान के पौता है तथा उत्तरकारी सं0–02 जयन्त कुमार ठाकुर पूर्व प्रधान के कनिष्ठ पुत्र है। 16 आना रैयतों का कहना है कि उत्तरकारी सं0–1 लव कुमार प्रसाद को 16 आना रैयतों का

समर्थन प्राप्त नहीं है। 16 आना रैयतों के अनुसार अपीलकर्त्ता अथवा उत्तरकारी सं0–02 जयन्त कुमार ठाकुर को उनका समर्थन प्राप्त है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत खास मौजा में तथा धारा 06 के अन्तर्गत मौजा के प्रधान के मृत्युपरांत उत्तराधिकारी के हैसियत से प्रधान नियुक्ति का प्रावधान है। संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिउड्ल V में प्रधान नियुक्ति के नियमों का उल्लेख है जिसमें मुख्यतः प्रधान नियुक्ति के पूर्व रूल्स 01 एवं 03 विचारणीय है।

1.The Appointment of headman shall be made in accordance with village customs and before confirming any appointment the Deputy Commissioner Shall satisfy that the Candidate is generally acceptable to the *raiyats*, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object any candidate.

3.The office of headman being hereditary the next heir, who is fitted, should be headman, if the heir be a minor, he may be appointed headman with a *Sarbrakhar* to manage for him until to be attains his majority.

उपर्युक्त वाद में (1) प्रधान नियुक्ति के पूर्व "आम सहमति" (General acceptable) पर विचार नहीं किया गया है कि प्रधान पद का उम्मीदवार सौलह आना रैयतों को स्वीकार्य है अथवा नहीं। (2) उभय पक्ष पूर्व प्रधान के वंशज एवं उत्तराधिकारी है। इन उत्तराधिकारी में से कौन प्रधान पद के लिए योग्य है, इस पर भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि पूर्व प्रधान द्वारा जीवित रहते अपीलकर्त्ता के पिता को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु शपथ पत्र के माध्यम से इच्छा जाहिर किया गया था।, इसलिए उनके मृत्यु पश्चात् प्रधान पद पर अपीलकर्त्ता का दावा बनता है।

किन्तु संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिउड्ल V के "Dismissal of Headman" के क्रमांक (5) में उल्लेख है :–

(5) The interest of a headman *manjhi* or *mustajir* is not transferable by Sale or otherwise.

इस आधार पर कहा जा सकता है कि अपीलकर्त्ता के पिता को प्रधान बनने का जो शपथ–पत्र पूर्व प्रधान द्वारा दिया गया था वह स्वीकारणीय नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रधान नियुक्ति के पूर्व संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 को शिउड्ल V के नियमों पर विधि सम्मत विचार अथवा अनुपालन नहीं किया गया है, फलतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे विलोपित किया जाता है तथा वाद को पूर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उल्लेखनीय नियमों को विधि सम्मत विचार/अनुपालन करते हुए तीन माह के अन्दर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:02:25 +05:30
Location: 169.254.227.244